भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2037

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों पर हमले

2037. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार के पास देश में हो रहे बाल विवाहों से संबंधित कोई डेटा है और यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो रहे हमलों से संबंधित कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कर्नाटक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संदत्त कुल धनराशि से संबंधित कोई डेटा है और यदि हां, तो उन्हें दिए जाने वाले प्रोत्साहनों सहित राज्य और केंद्रीय घटकों सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राज्य के चिकबल्लापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास कर्नाटक राज्य में पोषण 2.0 योजना के तहत हासिल की गई उपलब्धियों से संबंधित कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो विशेष रूप से चिक्कबल्लापुर का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराधों पर सांख्यिकीय आंकड़ा संकलित करता है और इसे अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 तक उपलब्ध है। वर्ष 2022 के लिए एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" के तहत पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): ऊपर उल्लिखित एनसीआरबी रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के आंकड़ों को अपराध शीर्ष ('भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)' अथवा 'विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल)' के तहत) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में 'महिलाओं और बच्चों पर हमले' का कोई अलग शीर्षक नहीं है। तथापि वर्ष 2022 के लिए एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध दर्ज अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) स्थानीय समुदाय से "मानद कार्यकर्त्री" हैं जिसके लिए उन्हें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच लागत साझाकरण के आधार पर 4,500/- रुपये प्रति माह मानदेय और 500/- रुपये का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसके अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कर्मियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं। कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को अतिरिक्त मानदेय के रूप में 6500/- रुपये प्रति माह देता है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी दिनांक 01.11.2021 के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षित कार्यों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500/- रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये मासिक कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक राज्य को 2645.26 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

(घ): चिकबल्लापुर जिले के जून 2024 के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 67,837 बच्चों के विकास की निगरानी के लिए उनका मापन किया गया।

(ड़): कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 (2019-21) की रिपोर्ट में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में सुधार हुआ है। बौनापन 36.2% से घटकर 35.4% हो गया है जबकि दुबलापन 26.1% से घटकर 19.5% हो गई है और अल्प वजन की व्यापकता 35.2% से घटकर 32.9% हो गई है।

तथापि जून 2024 के महीने के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के लगभग 34.30 लाख बच्चों को मापा गया जिनमें से 35% बच्चे बौने पाए गए, 17% अल्प वजन के पाए गए तथा 5 वर्ष से कम उम्र के 3% बच्चे दुर्बल पाए गए। पोषण ट्रैकर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बच्चों में अल्प वजन और दुबलापन का स्तर एनएफएचएस 5 द्वारा अनुमानित स्तर से काफी कम है।

*****

अनुलग्नक-I

'महिलाओं और बच्चों पर हमले' के संबंध में दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2037 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" के तहत पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटनाओं/मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	163
4.	बिहार	13
5.	छत्तीसगढ	0
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	9
8.	हरियाणा	37
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	झारखंड	5
11.	कर्नाटक	215
12.	केरल	6
13.	मध्य प्रदेश	7
14.	महाराष्ट्र	99
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	0
17.	मिजोरम	0
18.	नगालैंड	0
19.	ओडिशा	46
20.	पंजाब	4
21.	राजस्थान	10
22.	सिक्किम	0
23.	तमिलनाडु	155
24.	तेलंगाना	53
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	17
27.	उत्तराखंड	6

28.	पश्चिम बंगाल	121
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
32.	दिल्ली	1
33.	जम्मू और कश्मीर	2
34.	लद्दाख	0
35.	लक्षद्वीप	0
36.	पुद्दुचेरी	0
	कुल	**1002**

अनुलग्नक-II

'महिलाओं और बच्चों पर हमले' के संबंध में दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2037 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध दर्ज अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिलाओं के विरुद्ध अपराध	बच्चों के विरुद्ध अपराध
1.	आंध्र प्रदेश	25503	3308
2.	अरुणाचल प्रदेश	335	143
3.	असम	14148	4084
4.	बिहार	20222	8122
5.	छत्तीसगढ़	8693	6177
6.	गोवा	273	184
7.	गुजरात	7731	4964
8.	हरियाणा	16743	6138
9.	हिमाचल प्रदेश	1551	740
10.	झारखंड	7678	1917
11.	कर्नाटक	17813	7988
12.	केरल	15213	5640
13.	मध्य प्रदेश	32765	20415
14.	महाराष्ट्र	45331	20762
15.	मणिपुर	248	120
16.	मेघालय	690	496
17.	मिजोरम	147	135
18.	नगालैंड	49	35
19.	ओडिशा	23648	8240
20.	पंजाब	5572	2494
21.	राजस्थान	45058	9370
22.	सिक्किम	179	159
23.	तमिलनाडु	9207	6580
24.	तेलंगाना	22066	5657
25.	त्रिपुरा	752	220
26.	उत्तर प्रदेश	65743	18682

27.	उत्तराखंड	4337	1706
28.	पश्चिम बंगाल	34738	8950
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	178	146
30.	चंडीगढ़	325	224
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	126	107
32.	दिल्ली	14247	7468
33.	जम्मू एवं कश्मीर	3716	920
34.	लद्दाख	15	8
35.	लक्षद्वीप	16	11
36.	पुद्दुचेरी	200	139
	कुल	**445256**	**162449**